



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 495] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 12, 1990/कार्तिक 21, 1912
No. 495] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 12, 1990/KARTIKA 21, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

**Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation**

जल-भतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 1990

सा. का.नि. 902(अ).—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्याय अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठन धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कांडला पत्तन न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में कांडला पोर्ट कर्मचारी (अस्थायी सेवा) संगोधन विनियम, 1990 का अनुमोदन करती है।

2 उक्त विनियम, इस अधिनियम के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. पी. आर.-12012/24/90-पी.ई.-1]

अशोक जोशी, संयुक्त सचिव

अनुसूची

महापत्तन व्याप्त अधिनियम, 1963 की धारा 124 के अनुसर्गण में कांडला पोर्ट का स्वामी मंडल उक्त अधिनियम की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्-द्वारा कांडला पोर्ट कर्मचारी (अस्थायी सेवा) विनियम, 1964 में किए गए निम्नलिखित संशोधन विनियम प्रकाशित करता है, अर्थात् :—

- (1) ये विनियम कांडला पोर्ट कर्मचारी (अस्थायी सेवा) संशोधन विनियम, 1990 कहे जायेंगे।
- (2) विनियम 2(4) और 2(5) हटा दिए जाएं और विनियम 2 के उपविनियम (6) तथा (7) को क्रमशः (4) और (5) के रूप में पुनः अंकित किया जाए।
- (3) विनियम 3 तथा 4 हटा दिए जाएं।
- (4) (1) विनियम 5 में “ऐसे कर्मचारियों की सेवा समाप्ति, जो स्थायीवृत्त सेवा में नहीं हैं”, नामक शीर्ष का प्रतिस्थापन “अस्थायी कर्मचारियों की सेवा समाप्ति” में किया जाए।
- (2) विनियम 5(क) के अधीन आने वाले “जो स्थायीवृत्त सेवा में नहीं हैं” शब्दों को हटा दिया जाए।
- (3) विनियम 5 को 3 के रूप में पुनः अंकित किया जाए।
- (5) विनियम 6 को 4 के रूप में पुनः अंकित किया जाए।
- (6) विनियम 7 हटा दिया जाए।
- (7) विनियम 8 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित करते हुए 5 के रूप में पुनः अंकित किया जाए :—

“5. अस्थायी कर्मचारियों का स्थायीकरण :

- (1) इस विनियम के प्रावधानों के अधीन ऐसा प्रत्येक कर्मचारी स्थायी नियुक्ति का पात्र होगा जिसने अपनी परिचीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

- (2) समय-समय पर उचित विभागीय प्रोन्नति समिति से परामर्श करने के बाद प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे अस्थायी कर्मचारी को उसके प्रविष्टि ग्रेड अथवा पद पर स्थायी घोषित करेगा जिसने अपनी परिबीक्षा अथवा सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।”
- (8) विनियम 9, 10 तथा 11 हटा दिए जाएं।
- (9) विनियम 12 को 6 के रूप में पुनः अंकित किया जाए।

सचिव
कांडला पोर्ट ट्रस्ट

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th November, 1990

G.S.R. 902(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (i) of Section 124, read with Sub-section (i) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Kandla Port Trust Employees' (Temporary Service) Amendment Regulations, 1990 made by the Board of Trustees for the Port of Kandla and set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. PR-12012/24/90-PE.I]

ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

SCHEDULE

In pursuance of Section 124 of Major Port Trusts Act, 1963, the Board of Trustees of the Port of Kandla hereby publishes the following amendment regulations made by it in exercise of the powers conferred by Section 28 of the said Act, to the Kandla Port Employees' (Temporary Service) Regulations, 1964, namely:

- I. These Regulations may be called the Kandla Port Employees' (Temporary Service) Amendment Regulations, 1990.
- II. Regulations 2(iv) and 2(v) be deleted and Sub-regulations (vi) & (vii) of Regulation 2 be renumbered as (iv) and (v).

- III. Regulations 3 and 4 be deleted.
- IV. (i) The caption "Termination of services of employees not in quasi-permanent service" of Regulation 5 be substituted by "Termination of services of Temporary employees."
- (ii) The words "who is not in quasi-permanent services" appearing under regulation 5(a) be deleted.
- (iii) Regulation 5 be renumbered as 3.
- V. Regulation 6 be renumbered as 4.
- VI. Delete Regulation 7.
- VII. Regulation 8 be substituted by the following and renumbered as 5 :—
- "5. Confirmation of temporary employees :
- (1) Subject to the provisions of this regulation, every temporary employees shall be eligible for a permanent appointment on successful completion of his probation period.
- (2) Every appointing authority shall, from time to time, after consultation with the appropriate Departmental Promotion Committee, declare a temporary employee who has successfully completed the probation period in the entry grade or post as permanent."
- VIII. Regulations 9, 10 and 11 be deleted.
- IX. Regulation 12 be renumbered as 6.

SECRETARY
Kandla Port Trust.